छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20–109/2009/11/(6) रायपुर दिनांक 22.10.2010

राज्य शासन एतद् द्वारा ''औद्योगिक नीति 2009–14'' के परिशिष्ट–4 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित ''ब्याज अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक **1 नवंबर 2009** से **''छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम – 2009''** निम्नानुसार लागू करता है :

1– परिचयः–

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, विकलांग वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु पूर्व औद्योगिक नीति की ''ब्याज अनुदान योजना'' में संशोधन कर विस्तार किया गया है।

2– नियम :–

ये नियम **''छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम– 2009''** कहे जायेंगे ।

3– प्रभावशील तिथि :–

ये नियम **दिनांक 01.11.2009** से प्रभावशील होंगे ।

4– परिभाषाएं :–

इन नियमों के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेषन, फारवर्ड इंटीग्रेषन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्थायी पूंजी निवेश/स्थायी पूंजी निवेश की गणना एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 में अधिसूचित की गई है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है –लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम. /औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज की वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति /ऋण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो ।

5– पात्रता :–

5.1–औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि में अर्थात दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले ''उपाबंध 2'' मे दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर शेष नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर संबंधित वित्त पोषक संस्था/बैंक को भुगतान किये गये ब्याज पर अनुदान की पात्रता होगी।

5.2–विद्यमान उद्योगों को औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि में अर्थात दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक ''उपाबंध 2'' मे दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण/बेकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन कर संबंधित उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर इसके लिये उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से प्राप्त किये सावधि ऋण पर संबंधित वित्त पोषक संस्था/ बैंक को भुगतान किये गये ब्याज पर अनुदान की पात्रता होगी ।

5.3–भारत शासन/राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन के निगमों/ मंडलों/संस्थाओं/बोर्ड द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

5.4–इस अनुदान की पात्रता के लिये यह आवश्यक है कि संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता होने की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो।

5.5–ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व पात्र औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ ऋण वितरण के प्रथम दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवष्यक है। आगामी किसी भी त्रैमास/छः माही का स्वत्व अगले एक त्रैमास /छः माही, जो लागू हो, के भीतर संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये प्रथम स्वत्व तथा आगामी स्वत्वों को यथास्थिति सक्षम अधिकारी उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग–उद्योग संचालनालय/ मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अधिकतम तीन माह की विलम्ब की अवधि तक गुण दोष के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब की अवधि के प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जायेंगे ।

5.6–भारत शासन/ राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलों / संस्थाओं / बोर्ड की स्वरोजगार योजनाओं अथवा अन्य योजनाओं के अर्न्तगत वित्त पोषित औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी, यदि उन्हें वित्त पोषण रियायती ब्याज दर पर किया गया हो ।

5.7–औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 1.11.2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2009–2014 के अर्न्तगत (उपाबंध–2 में दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

5.8–यदि भारत शासन/ राज्य शासन या इसके किसी निगम/ बोर्ड /मंडल /आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से ब्याज अनुदान प्राप्त करने पर इस अधिसूचना के अर्न्तगत ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

5.9–औद्योगिक नीति 2004–09 के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, जो निगेटिव लिस्ट में हैं जिनका उद्योग 31 अक्टूबर 2009 तक की स्थिति में विद्यमान रहा है व औद्योगिक नीति 2009–14 में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है ऐसे विद्यमान उद्योगों को विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन पर इस अनुदान की पात्रता होगी ।

5.10–औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत स्थापित नवीन लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु सामान्य उद्योगों की भांति निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान की पात्रता होगी ।

5.11–प्राथमिकता उद्योगों की पात्रता हेतु यह आवश्यक होगा कि उनमें प्राथमिकता उद्योगों के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचना के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम पूंजी निवेश प्लांट एवं मशीनरी में किया गया हो ।

6– <u>अनुदान की मात्रा :–</u>

6.1 पात्र सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा–

1.1 नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
<u>श्रेणी अ–</u> आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध– 6 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 10.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0 आई0	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 15.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0 आई0

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
<u>श्रेणी अ–</u> आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध– 6 के अनुसार)	निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 10.50 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 11.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 20.00 लाख वार्षिक)	निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 15.75 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 16.50 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख वार्षिक)
<u>श्रेणी ब–</u> आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध– 7 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 20.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0 आई0 निवेषकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 21.00 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 22.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 30.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिषत एफ0 डी0 आई0 निवेषकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 65 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 31.50 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 33.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 40.00 लाख वार्षिक)	कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 50.00 लाख वार्षिक)

1.2– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विस्तार

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योगों के विस्तार प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में विस्तार करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही विस्तार करने पर प्राप्त होगी ।

1.3– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का शवलीकरण

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा शवलीकृत उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योगों के **शवलीकरण** प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में **शवलीकरण** करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही **शवलीकरण** करने पर प्राप्त होगी ।

1.4– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन –

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन प्रकरणों में इस प्रयोजन हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी।

विद्यमान उद्योगों के **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं

नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** करने पर प्राप्त होगी ।

1.5– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उपरोक्तानुसार (विस्तार, शवलीकरण, फारवर्ड इंटीग्रेशन, बेकवर्ड इंटीग्रेशन) प्रकरणों में यदि योजना की कालावधि में पृथक–पृथक/ एक साथ सावधि ऋण लिया जाता है तो अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका में नवीन उद्योगों हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं दी जावेगी।

2.1– नवीन मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी अ– आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध– 6 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 10.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेषकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 10.50 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 11.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख वार्षिक)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 20.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेषकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 21.00 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 22.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 40.00 लाख वार्षिक)
श्रेणी ब– आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध– 7 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 40.00 लाख वार्षिक) (2)– अप्रवासी भारतीय/

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 26.25 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 27.50 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 40.00 लाख वार्षिक)	शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 65 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 42.00 लाख वार्षिक) (3) महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 44.00 लाख वार्षिक) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 60.00 लाख वार्षिक)

2.2–**विद्यमान मध्यम उद्योगों का विस्तार**

विद्यमान मध्यम उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योगों के विस्तार प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में विस्तार करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही विस्तार करने पर प्राप्त होगी ।

2.3–**विद्यमान मध्यम उद्योगों का शवलीकरण**

विद्यमान मध्यम उद्योगों के शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा शवलीकृत उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योगों के **शवलीकरण** प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह

अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में **शवलीकरण** करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही **शवलीकरण** करने पर प्राप्त होगी ।

2.4–**विद्यमान मध्यम उद्योगों का बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन**–

विद्यमान मध्यम उद्योग के बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन प्रकरणों में इस प्रयोजन हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी।

विद्यमान उद्योगों के **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** प्रकरणों में अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिकानुसार होगी किन्तु ऐसी इकाईयां जिन्होंने औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक को/के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर नवीन उद्योग के रूप में यह अनुदान प्राप्त कर लिया है तथा उसके पश्चात् अपने उद्योग में **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** करती है तो ऐसे प्रकरणों में उन्हें यह अनुदान तभी प्राप्त होगा यदि उनको इस अनुदान की अधिकतम सीमा तक की राशि नवीन उद्योग के रूप में नहीं प्राप्त हुई हो। यदि नवीन उद्योग के रूप में प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा से कम है तो अनुदान की अधिकतम सीमा एवं नवीन उद्योग के रूप में स्वीकृत अनुदान के अंतर की राशि ही **बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन** करने पर प्राप्त होगी ।

2.5– विद्यमान मध्यम उद्योगों के उपरोक्तानुसार (विस्तार, शवलीकरण, फारवर्ड इंटीग्रेशन, बेकवर्ड इंटीग्रेशन) प्रकरणों में यदि योजना की कालावधि में पृथक–पृथक/ एक साथ सावधि ऋण लिया जाता है तो अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका अनुसार नवीन उद्योगों हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं दी जावेगी।

6.2– इस अनुदान की गणना अवधि नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन की योजनाओं पर स्वीकृत सावधि ऋण के ऋण वितरण की प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

6.3– अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राषि पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

6.4– यदि किसी त्रैमास/छैःमास, जो लागू हो, में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोषित संस्था/बैंक द्वारा **''ऋण न चुकाने वाला''** (Defaulter) माना जाता है तो उस त्रैमास/ छःमास में ब्याज अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । किसी त्रैमास/छैःमास में **''एक बार ऋण न चुकाने वाला'' (Defaulter)** हो जाने पर उस त्रैमास/छैःमास के ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामी त्रैमासों /छैःमासों में, पूर्व के त्रैमास /छैःमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए। इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास/छैःमास में प्रमाण पत्र देना होगा।

7– <u>प्रक्रिया व अधिकार :–</u>

7.1– पात्र औद्योगिक इकाईयों को ''उपाबंध 1'' के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जो वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एक प्रति में एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में दो प्रतियों में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं

उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद ''उपाबंध –4'' में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

(1) वैध–लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण एवं फारवर्ड इंटीग्रेषन एवं बेकवर्ड इंटीग्रेशन से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुमति एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज ।

(3) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(4) विकलांग से संबंधित प्रकरणों में विकलांगता से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(5) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभागीय/ कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(6) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(7) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले त्रैमास /छैःमास के आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिर्वतन होने पर सबंधित त्रैमास में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र ।

(8) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास / छःमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में ''ऋण न चुकाने वाला'' (Defaulter) नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

7.2– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर तथा सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत तथा ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक के पश्चात त्रैमासिक/ छैः माही आधार पर संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया त्रैमासिक/छःमाही आधार पर स्वत्व आगामी पात्रता अवधि में भी यथास्थिति त्रैमासिक/छःमाही आधार पर ही प्रस्तुत करना होगा । (स्वीकृतकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि आवेदन के पूर्ण होने पर पूर्ण आवेदन पत्रों को उनके क्रम में स्वीकृति/ अस्वीकृति की कार्यवाही करें)

7.3– मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण ''उपाबंध 5'' के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में सहायक प्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन व परीक्षण करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में ''उपाबंध 8'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में महाप्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से निरीक्षण करवाकर अपने अभिमत/अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत होने के 30 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा जिस पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध 8'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेष जारी किया जायेगा ।

7.4– स्वत्व के नियमानुसार न होने पर यथास्थिति मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेष से सहमत न होने पर निर्धारित अवधि 45 दिवसों के भीतर सक्षम अधिकारी को अपील करने के प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

7.5– उद्योग संचालनालय द्वारा ब्याज अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

7.6– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा। अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

7.7– स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् ही अनुदान वितरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी।

7.8– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जायेगा।

7.9– बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

7.10– राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/ उसंचा–रा/ 2005/ 9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के द्वारा किया जायेगा।

8– ''<u>ब्याज अनुदान'' की वसूली</u>–

8.1– ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई /बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय ब्याज के एक मुश्त वसूली योग्य हो जावेगी जिसकी वसूली संबंधित औद्योगिक इकाई/बैंक/वित्तीय संस्था या दोनों से की जा सकेगी । यह राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य वसूली की जा सकेगी । वसूली योग्य मूल राशि पर वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

8.2– उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग –उद्योग संचालनालय/ मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.3– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्र0 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी तथा अनुदान की राषि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समोजित की जा सकेगी, यदि दे दी गयी हो ।

8.4– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/ विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र/ सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र /अप्रवासी भारतीय/ शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

9– <u>अपील /वाद –</u>

9.1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी किन्तु यदि उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग ही प्रमुख सचिव/सचिव हैं तो यह अपील अपर संचालक को की जावेगी ।

9.2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।

9.4– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा/जमा किया जायेगा ।

9.5– कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी ।

9.6– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।

9.7– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/ विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र/ सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी।

9.8– उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न देने पर सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा ।

9.9– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो तो सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा।

9.10– यदि किसी न्यायालय द्वारा उद्योग को बंद करने का आदेश पारित किया गया हो तो सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा।

9.11– उपर्युक्त बिन्दु 9.1 से 9.10 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश, जिला /राज्य स्तरीय समिति की ओर से क्रमशः मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृष्य की जा सकेगी ।

10 <u>अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व</u> :–

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने ₹ 10 लाख वार्षिक से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। ₹10 लाख वार्षिक से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी। यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने वाले न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन करने की दशा में सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा ।

(3) ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा । उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय का अधिकार होगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की दशा में सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा ।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन करने की दशा में सम्पूर्ण ब्याज अनुदान वसूली योग्य होगा ।

11— <u>स्वप्रेरणा से निर्णय :—</u>

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें, स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा ।

12— योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं ब्याज अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा ।

13— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

15— <u>योजना का क्रियान्वयन</u>

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा ।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 407/सी.एन. 29976/बजट—5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/—
(सरजियस मिंज)
अपर मुख्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

''उपाबंध– 1''

(नियम 7.1)

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

कुल पात्रता अवधि ..... से .....तक **वर्तमान क्लेम, अवधि..... से .....तक**

क्र0	1 औ0इकाई का नाम व पता 2 उद्यमी का वर्ग 3 ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस का विवरण 4 ई0एम0 पार्ट–2 का विवरण 5 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र का विवरण अ–उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता ब– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक स–स्थायी पूंजी निवेश द– कुल रोजगार 6 ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	नवीन उद्योग / विद्यमान उद्योग का विस्तार/ शवलीकरण/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन/ फारवर्ड इंटीग्रेशन	**ऋण का विवरण**				
			स्वीकृति			वितरण	
			ऋण का स्वरूप	स्वीकृत राशि	दिनांक	कुल वितरित राशि	दिनांक ....तक
			सावधि ऋण				
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण		वित्त पोषित राशि का संस्था को देय विवरण			औ0 इकाई द्वारा भुगतान की गयी राशि जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है				क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण	
अवधि	प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग	राशि	दिनांक	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग	राशि	दिनांक	अनुदान की दर	भुगतान किये गये ब्याज की राशि का % अनुदान	ब्याज अनुदान क्लेम राशि
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

कुल रोजगार				
श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
20	21	23	25	27
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग				
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग				
प्रबंधकीय वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग				
महायोग				

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम	नाम
पद	पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता	वित्तीय संस्था का नाम व पता
दिनांक	दिनांक

टीप– आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

शपथ पत्र

1– यह प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जायेगा ।

2– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व वित्तीय संस्था / बैंक को देय अवधि ..... में मूलधन / ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है / भुगतान अनियमित है / भुगतान हेतु स्थगन दिया गया है ।

3– यह भी शपथ पूर्वक घोषित किया जाता है कि ब्याज अनुदान का क्लेम केवल सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज पर किया गया है । क्लेम में कार्यशील पूंजी पर ब्याज/ विलंब शुल्क/ शास्ती पर ब्याज अनुदान सम्मिलित नहीं है ।

4– यह भी शपथ पूर्वक घोषणा की जाती है कि उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम पांच वर्षों तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5– औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत स्थापित उद्योग सामान्य श्रेणी/ प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग है ।

6– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को ब्याज अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/ राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को ब्याज अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

7– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

टीप– आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

उपाबंध– 2

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण,

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पंज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

******

टीपः– संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्टि–5 में सम्मिलित कोर सेक्टर के उद्योग
(जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी)

अ– सीमेंट / क्लिंकर प्लांट

ब– इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स– एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट

द– ताप विद्युत संयंत्र (केप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर)

उपाबंध–3

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–3 अनुसार प्राथमिकता उद्योगों की सूची : :

वर्गीकरण के आधार पर –

1 हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण
2 आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
3 साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
4 प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
5 नॉन फेरस (एल्यूमिनियम सहित) मेटल पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
6 भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल को छोड़कर)
7 ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
8 फार्मास्यूटिकल उद्योग
9 व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिक उपभोक्ता उत्पाद
10 सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उद्योग एवं आई.टी. एनेबल्ड सर्विसेस, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उद्योग
11 सेरी कल्चर, हार्टी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, बॉयो फर्टीलाईजर, पिसीकल्चर से संबंधित उद्योग
12 टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)
13 लघु वनोपज पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग
14 भारतीय रेल्वे, दूरसंचार, रक्षा, विमानन कंपनियों एवं अंतरिक्ष विभाग को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
15 अपरम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन
16 डिफेन्स, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
17 ग्रामोद्योग इकाईयां (ग्रामोद्योग विभाग से अनुमोदित)
18 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जावें

टीप– प्राथमिकता सेक्टर की पात्रता के लिए संबंधित उद्योग में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम सीमा तक निवेश करना आवश्यक होगा ।

उत्पाद आधारित

1 एच0डी0पी0ई0 बैग्स एवं पाईप्स
2 मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग
3 ट्रान्समीशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण
4 स्व–चालित कृषि यंत्र एवं ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स
5 मेटल पावडर

6 बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)

7 लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)

8 फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)

9 रेडीमेट गारमेन्ट्स (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगो को)

10 सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स

11 100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग

12 बायोडीजल उत्पादन

13 कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स प्रोफाईल्स एवं फिटिंग

14 वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग

15 कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स

16 फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग

17 ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप– प्राथमिकता सेक्टर की पात्रता के लिए संबंधित उद्योग में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम सीमा तक निवेश करना आवश्यक होगा ।

***

''उपाबंध–4''

(नियम 7.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

छत्तीसगढ़

मेसर्स ..... पता.....

द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009**..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ..... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की सील

''उपाबंध–5''
(नियम 7.3)
स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1– औद्योगिक इकाई ..... के ब्याज अनुदान क्लेम अवधि ..... के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया । उद्योग में उत्पादन चालू / बंद है ।

2– उद्योग सामान्य श्रेणी/प्राथमिकता श्रेणी के अन्तर्गत है एवं उद्योग में कुल स्थायी पूंजी निवेश रू. ..... है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में मान्य पूंजी निवेश रू0..... है।

3– औद्योगिक इकाई में वर्तमान में नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है–

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
3	प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
	महायोग					

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप एकल स्वामित्व/साझेदारी/कम्पनी/सहकारी समिति के तहत् है जिसके मुख्य स्वामी/साझेदार/संचालक ..... है व यह उद्योग सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग/अप्रवासी भारतीय/शतप्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक/सेवानिवृत्त सैनिक/महिला उद्यमी/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/विकलांग वर्ग द्वारा संचालित है ।

5— नवीन/ विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन/ फारवर्ड इंटीग्रेशन संबंधी बिन्दु पर टीप —

6— उद्योग सामान्य उद्योगों की श्रेणी/ प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी में होने एवं संतृप्त/ कोर सेक्टर के उद्योगों में नहीं होने बाबत् टीप—

7— अन्य जानकारी जो आवश्यक हो —

8— अनुशंसा /अभिमत

स्थान :—
दिनांक :—

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व
पद

उपाबंध– 6

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

1– जिला–रायपुर

विकास खण्ड–धरसीवां, तिल्दा, अभनपुर, बलौदाबाजार, सिमगा, आरंग, भाटापारा, पलारी ।

2– जिला–बिलासपुर

विकासखंड– बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी ।

3– जिला–दुर्ग

विकास खंड – बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, बेरला, दुर्ग ।

4– जिला–राजनांदगांव

विकास खंड – राजनांदगांव।

5– जिला– महासमुंद

विकास खंड– महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली।

6– जिला–धमतरी

विकास खण्ड– धमतरी, कुरूद, ।

7– जिला– कबीरधाम

विकास खण्ड– कवर्धा।

8– जिला– जांजगीर–चांपा

विकास खण्ड– डभरा, अकलतरा, सक्ती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), पामगढ़, बलौदा।

9– जिला– रायगढ़

विकास खण्ड– रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया।

10– जिला– कोरबा

विकास खण्ड– कोरबा, कटघोरा ।

उपाबंध– 7

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

1– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, उत्तर बस्तर कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड

2– दुर्ग जिला – डौंडी, नवागढ़, एवं डौंडी–लोहारा विकासखंड ।

3– राजनांदगांव जिला – अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड।

4– रायपुर जिला – गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड ।

5– धमतरी जिला – नगरी एवं मगरलोड विकासखंड।

6– रायगढ़ जिला– धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड।

7– बिलासपुर जिला– गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड ।

8– महासमुंद जिला– बसना एवं पिथौरा विकासखंड।

9– कबीरधाम जिला– पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड।

10– जांजगीर–चांपा जिला– मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड।

11– कोरबा जिला– करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड।

प्रारूप

उपाबंध–8
(नियम 7.3)
ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009 के नियम क्रमांक ''7.2'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है।

क्र0	औ0इकाई का नाम व पता	उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	उद्योग का स्वरूप नवीन/ विद्यमान उद्योग का विस्तार / शवलीकरण/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन/ फारवर्ड इंटीग्रेशन	ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	वित्तीय संस्था / बैंक जो औ0 इकाई का वित्त पोषक है	ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व स्वीकृत राशि	स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि – अवधि.....तक	वर्तमान स्वीकृत स्वत्व	
								अवधि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2– यह राशि वित्तीय वर्ष– ..... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी :–

.....

.....

3– यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।

उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग/ मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ